

कार्यालय भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल

विज्ञापन क्रमांक 7837 / सम्पदा / 24

भोपाल, दिनांक 23/12/25

विभिन्न आकार के डुप्लेक्स भवनों हेतु ऑफर आमंत्रण

प्राधिकरण की एयरोसिटी फेस-1, "एयरो रेसीडेंसी" योजना स्थित 05 डुप्लेक्स भवनों का विक्रय निम्न तालिका में वर्णित होकर ऑनलाईन वेबसाइट <https://Vikaspradhikaran.mponline.gov.in> के माध्यम से ऑफर दिनांक 23/12/2025 से दिनांक 14/01/2025 तक आमंत्रित किये जाते हैं। निर्धारित अवधि में प्राप्त ऑफर/आवेदन पत्र दिनांक 15/01/2025 को आई0टी0 शाखा में खोले जायेंगे।

क्र 0	डुप्लेक्स क्रमांक	संख्या	विल्टप क्षेत्रफल वर्गमीटर	कारपेट क्षेत्रफल वर्गमीटर	भूखण्ड का क्षेत्रफल वर्गमीटर	आरक्षण की श्रेणी यदि आरक्षित हो	डुप्लेक्स की आरक्षित कीमत प्रति डुप्लेक्स	पंजीयन राशि (धरोहर राशि)	लोकेशन व अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	डीबी-12	1	203.30	133.97	116.12	सामान्य	60,93,544	6,09,354	9.00 मी चौड़ी सड़क पर
02	डीबी-13	1	203.30	133.97	116.12	सामान्य	60,93,544	6,09,354	9.00 मी चौड़ी सड़क पर
03	डीबी-14	1	203.30	133.97	116.12	सामान्य	60,93,544	6,09,354	9.00 मी चौड़ी सड़क पर
04	डीबी-15	1	203.30	133.97	116.12	सामान्य	60,93,544	6,09,354	9.00 मी चौड़ी सड़क पर
05	डीबी-31	1	203.30	133.97	116.12	सामान्य	60,93,544	6,09,354	9.00 मी चौड़ी सड़क पर

भुगतान हेतु नियम एवं शर्तें निम्नानुसार होगी:-

- डुप्लेक्स भवनों पर भारित सम्पत्ति कर एवं पुनर्निर्धारण शुल्क (भू-राजस्व प्रीमियम राशि) पृथक से देय होगा।
- डुप्लेक्स भवनों पर भारित रहवासी समिति शुल्क तय अनुसार रजिस्ट्री पूर्व अंतिम किश्त में पृथक से देय होगा।
- जल प्रदाय स्ट्रीट लाईट एवं साफ-सफाई संचालन मद में 24 माह की राशि (रु0 1650/- + 297/- जीएसटी) = 1947×24 माह / - = राशि रु0 46,728/- अग्रिम आधिपत्य के पूर्व पृथक से देय होगी।
- सम्पत्ति भू-स्वामी अधिकार पर विक्रय हेतु है।
- आयकर अधिनियम 194/1ए अनुसार 50 लाख से अधिक की सम्पत्ति पर 1 प्रतिशत आयकर (टीडीएस) की राशि ऑफर मूल्य पर कटौती कर आयकर कार्यालय में जमा कर फार्म 16-ए की एक प्रति प्राधिकरण में उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।
- ऑफर स्वीकृति राशि मूल्य का 100 प्रतिशत पंजीयन राशि के समायोजन सहित आवंटन आदेश जारी होने के 45 दिवस के अन्दर निर्धारित समयावधि में जमा करना अनिवार्य होगा।

7. शेष राशि कार्य प्रगति अनुसार निम्नावत देय होगी :-

(1)—कार्य पूर्ण होने पर विक्रय विलेख निष्पादन के पूर्व अंतिम किश्त की 5 प्रतिशत राशि एवं अन्य जो भी राशि देय होगी, जमा करना अनिवार्य होगा।

(2)—नस्ती संधारण हेतु ऑनलाईन जमा आवेदन पत्र की हार्ड कापी आवंटन पश्चात् कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

(3)—डूप्लेक्स भवनो का निर्माण पूर्ण हो गया है। ऐसी स्थिति में यदि आवंटी सेलडीड एवं आधिपत्य चाहे तो वो पूर्ण राशि जमा कर सेलडीड उपरान्त आधिपत्य प्राप्त कर सकेगा।

8. ऑफर स्वीकृति अनुसार मांग पत्र जारी होने पर निर्धारित अवधि में राशि जमा न किये जाने पर नियमानुसार दण्ड ब्याज देय होगा।

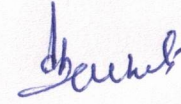
9. प्रचलित व्ययन नियम में वर्णित नियम एवं प्रावधान मान्य होंगे।

10. सभी डूप्लेक्स भवनों का क्षेत्रफल अनुमानित है।

11. डूप्लेक्स भवनों का विक्रय यथास्थिति में प्रस्तावित है। डूप्लेक्स भवनों का स्थल निरीक्षण कर ही प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

12. शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियम एवं शर्तें पंजीयनकर्ताओं/आवंटियों को मान्य करना अनिवार्य होगा।

13. दस्तावेज पूर्ण अपलोड नहीं होने की दशा में प्रस्ताव नहीं खोला जावेगा।



सम्पदा अधिकारी
भोपाल विकास प्राधिकरण
भोपाल

जानकारी हेतु सम्पर्क करें।

1—श्री रवि सिंह आई0टी0 (ऑनलाईन प्रक्रिया से संबंधित) मो0—8770234380

2—श्री अरविन्द मण्डराई कार्यपालन यंत्री से संबंधित मो0—9826597251